सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

अपील सं0 23/2017
हरिनारायण पुत्र छीतर मल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दौसाखुर्द तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. श्रीनारायण पुत्र छीतर मल शर्मा
3. गोपाल शर्मा !
4. चंद्रभान शर्मा ! पुत्रान् जगदीश नारायण शर्मा
5. सरजू पत्नी जगदीश शर्मा
6. विमला पुत्री जगदीश शर्मा पत्नी हनुमान निवासी पडासोली, जयपुर ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय ना0सं0 214 दिनाक 25.07.76
व न्यायालय तहसीलदार दौसा

उपस्थित :1. श्री सत्य नारायण शर्मा व महेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री द्वारका प्रसाद मीना अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 लगायत 6
3. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 30.05.2018

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा दिनाक 25.07.76 को ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा का नामान्तरकरण संख्या 214 विरासत के आधार पर रेस्पो0 सं0 2 व रेस्पो0 सं0 3, 4, 6 के पिता व रेस्पो0 सं0 5 के पति के नाम भरकर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.05.2018 को प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम हरमुख के स्थान पर हरिनारायण करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने हेतु निवेदन किया गया। पश्चात प्रकरण में दिनांक 30.050.2018 नियत की जाकर लोक अदालत में रखा गया। पुनः अपीलांट रेस्पो0 सं0 2 लगायत 4 ने मय अपने–अपने अधिवक्ता उपस्थित अदालत होकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। चूँकि मामला सीधा ही निस्तारण करने से पूर्व उसकी जॉच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने का निवेदन किया राजकीय अधिवक्ता ने इसमें अपनी सहमति प्रदान की। प्रकरण के गुणावगुण व प्रस्तुत प्रा0 पत्र/शपथ पत्र के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार हित में रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन न्तरकरण सं0 214 दिनाक 25.07.76 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान व उनके वारिसान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के र्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति हित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की ांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official